अति-संवेदनशीलता मानचित्रण मैनुअल

मार्च, 2016

दस्तावेज 5 संस्करण 1

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001

“मजबूत लोकतंत्र- सबकी भागीदारी”

केवल सीमित एवं आधिकारिक उपयोग के लिए

अति-संवेदनशीलता मानचित्रण मैनुअल

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001

“मजबूत लोकतंत्र- सबकी भागीदारी”

अति-संवेदनशीलता मानचित्रण निर्वाचकीय प्रक्रिया में निर्वाचकों की भयरहित एवं बाधारहित सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक अंगभूत संघटक के रूप में उभर कर सामने आया है। वर्ष 2007 से निर्वाचन आयोग ने इस संकल्पना का काफी कारगर तरीके से इस्तेमाल किया है। आयोग के सभी पिछले अनुदेशों को इस्तेमाल करते हुए यह पुस्तिका अति-संवेदनशीलता के संघटकों, इसकी योजना और फील्ड में निष्पादन की विशद जानकारी देती है। यह पुस्तिका सभी भावी निर्वाचनों में इस्तेमाल किए जाने के लिए संकलित इनपुट के साथ सभी पिछले अनुदेशों का समेकन है।

विषय सूची		
संक्षिप्तियां		
I.	**परिचय**	
II.	**विधिक संरचना पर अनुदेश**	
III.	**अति-संवेदनशीलता के पैरामीटर**	
IV.	**अति-संवेदनशीलता मानचित्रण (वीएम) क्रिया के तीन चरण**	
V.	**अति-संवेदनशीलता मानचित्रण के लिए की जाने वाली कार्रवाई**	
1.	**उपयुक्त सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके उत्तरदायित्व**	
2.	**अति-संवेदनशीलता मानचित्रण (वीएम) के लिए सेक्टर पुलिस अधिकारियों एवं नामोद्दिष्ट पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति**	
3.	**सेक्टर अधिकारियों एवं नामोद्दिष्ट पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण**	
4.	**राज्य के कानून एवं व्यवस्था पोर्टल को कार्यशील करने के संबंध में**	
5.	**अति-संवेदनशील क्षेत्रों/खंडों/ग्रामों/उपग्रामों की पहचान करना**	
6.	**ऐसी अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की पहचान करना**	
7.	**अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई**	
8.	**रिपोर्टिंग फार्मेट**	
9.	**केन्द्रीय पुलिस बल एवं मतदान दिवस तैनाती के लिए क्षेत्र प्रभुत्व योजना**	
10.	**मतदान के दिन अति-संवेदनशील क्षेत्रों/व्यक्तियों का अनुवीक्षण**	
11.	**मतदान के उपरांत रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रेक्षकों की भूमिका**	
12.	**जवाबदेही एवं गोपनीयता**	
VI.	**अति-संवेदनशीलता मानचित्रण (वीएम) के लिए समय-सीमा**	

अनुबंध

- **अनुबंध - I वीएम-1 -** सेक्टर अधिकारी के अति-संवेदनशीलता मानचित्रण की क्रिया शुरू करने से पहले डीईओ/आरओ के द्वारा उन्हें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी है।
- **अनुबंध - II वीएम-2 (एसओ)** - सेक्टर अधिकारियों द्वारा अति-संवेदनशीलता की जांच एवं निर्धारण करने के लिए प्रोफार्मा
- **अनुबंध - III (मतदान केन्द्रवार) वीएम-3 (एसओ)** - सेक्टर अधिकारियों द्वारा अति-संवेदनशील मुहल्लों/पॉकेट/मतदाता खंडों के और भयादोहन करने वाले व्यक्तियों की मतदान केन्द्रवार सूचीयन के लिए मतदान केन्द्रवार फार्मेट

- **अनुबंध - IV (सेक्टरवार) वीएम-4 (एसओ)** - सेक्टर अधिकारियों द्वारा अति-संवेदनशील मुहल्लों/पॉकेट/मतदाता खंडों के और भयादोहन करने वाले व्यक्तियों की मतदान केन्द्रवार सूचीयन का सारांश
- **अनुबंध - V (सेक्टरवार) वीएम-5 (एसओ)** - सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट/प्रधान आरक्षी/सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र
- **अनुबंध - VI (विधान सभा स्तर) वीएम-6 (आरओ)** - रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशीलता का सारांश और अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की सूची
- **अनुबंध - VII (जिलास्तर) वीएम-7 (डीईओ) -** अति-संवेदनशीलता की पहचान, और जिला स्तर पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

संक्षिप्तियां

ARO - सहायक रिटर्निंग अधिकारी
ASD - अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट
ASI - सहायक सब इंस्पेक्टर
ATR - की गई कार्रवाई
CEO - मुख्य निर्वाचन अधिकारी
CPF - केन्द्रीय पुलिस बल
DEO - जिला निर्वाचन अधिकारी
DM - जिला मजिस्ट्रेट
DSP - पुलिस उपाधीक्षक
ECI - भारत निर्वाचन आयोग
EPIC - निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड
LIB - स्थानीय आसूचना ब्यूरो
LOR - कानून एवं व्यवस्था
LWE - वाम उग्रवाद
MCC - आदर्श आचार संहिता
NBW - गैर-जमानती वारंट
PASA - असामाजिक कार्यकलाप निवारण अधिनियम
PCCP - गश्ती-सह-संग्राहक पार्टियां
PI - पुलिस इंस्पेक्टर
PS - मतदान केन्द्र
RO - रिटर्निंग अधिकारी
SDM - सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
SDPOs - सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी
S.O. - सेक्टर अधिकारी
SP - पुलिस अधीक्षक
TDO - तालुका विकास अधिकारी
UT - संघ राज्य-क्षेत्र
VM - अति-संवेदनशीलता मानचित्रण

I. । परिचय

निर्वाचनों के संदर्भ में *अति-संवेदनशीलता* किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह की, चाहे वे भौगोलिक दृष्टि से अभिज्ञात-योग्य क्षेत्र में रहते हों या नहीं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से मत देने के उसके अधिकार के प्रयोग के संबंध में, मतदाता का भयादोहन करके या किसी प्रकार के अनुचित प्रभाव या बल के माध्यम से गलत तरीके से रोके जाने या प्रभावित किए जाने के प्रति प्रभाव्यता है।

निर्वाचनों के संदर्भ में अति-संवेदनशीलता मानचित्रण (वीएम) का कार्य, समय रहते ऐसे मतदाताओं या मतदाताओं के वर्ग की सुस्पष्ट तरीके से पहचान करने के उद्देश्य से किया जाना है कि ऐसे मतदाता या मतदाताओं के वर्ग जिनके "अति-संवेदनशील " होने की संभावना है, ऐसी अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों या अन्य कारकों की पहचान की जा सके और ऐसी पहचान के आधार पर काफी पहले यथेष्ट सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

वर्ष 2007 से, भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। एक ऐसा परिवेश, जिसमें प्रत्येक निर्वाचक बाधित हुए बगैर या किसी व्यक्ति के द्वारा अनुचित रूप से प्रभावित हुए बगैर मतदान केन्द्र तक पहुंचने में सक्षम हो, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व-अपेक्षा है। इस पूर्व-अपेक्षा, जो मतदाताओं के लिए व्यापक रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष, एवं सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित करने के लिए है, के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अग्रवर्ती, निवारक एवं योजनाबद्ध कार्रवाई करने के लिए साधन तैयार किए हैं। एक ऐसा ही साधन अति-संवेदनशीलता मानचित्रण (इसमें वीएम के रूप में संदर्भित) का साधन है।

II अति-संवेदनशीलता मानचित्रण पर अनुदेश

निर्वाचनों में बाहुबल द्वारा निभाई जा रही भूमिका को समुचित रूप से संज्ञान में लेते हुए और निर्वाचकीय राजनीति की कतिपय विद्यमान सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं पर ध्यान देते हुए आयोग ने 2007 में '*अति-संवेदनशीलता मानचित्रण* ' नामक एक प्रक्रिया शुरू की है। बाद में, ऐसे जोखिम एवं भयादोहन के प्रति अति-संवेदनशील मतदान केन्द्र क्षेत्र के भीतर लोकेशनों की पहचान करने के द्वारा निर्वाचनों में धमकी एवं भयादोहन के संकट पर अंकुश लगाने के लिए अनुदेशों की निम्नलिखित श्रृंखला जारी की गई:

अनुदेश की तारीख	संख्या	विषय	प्रमुख संघटक
12/10/2007	464/अनुदेश/2007-पीएलएन-।	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए उपाय - निर्वाचक के अति-संवेदनशील वर्गों के मतदाताओं के भयादोहन का निवारण - अति-संवेदनशीलता मानचित्रण - तत्संबंधी	• अति-संवेदनशील ग्रामों/उपग्रामों/वास-स्थानों की पहचान करना • निवारक उपाय • डीईओ एवं एसपी की संयुक्त समीक्षा • क्षेत्र पर वर्चस्व कायम करना

			• रिपोर्टिंग
16/10/2010	464/बिहार वि.स./2010	बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन - अति-संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सुरक्षा कवर - तत्संबंधी	• सेक्टर मजिस्ट्रेटों एवं पीसीसीपी का विजिट • अति-संवेदनशील मतदाताओं को सुरक्षा कवर प्रदान करना
23/03/2011	464/अनुदेश/2011/ईपीएस	असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरीं विधान सभा के साधारण निर्वाचन - अति-संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सुरक्षा कवर - तत्संबंधी	• सेक्टर मजिस्ट्रेटों एवं चलंत राज्य बलों का विजिट • अति-संवेदनशील मतदाताओं को सुरक्षा कवर प्रदान करना
30/12/2011	464/अनुदेश/2011/ईपीएस	अति-संवेदनशीलता मानचित्रण	• अति-संवेदनशीलता मानचित्रण • सेक्टर अधिकारी का विजिट • फार्मेट वीएम-एसओ • फार्मेट वीएम-आरओ • फार्मेट वीएम-डीईओ
07/03/2014	76/अनुदेश/2014/ईईपीएस	व्यय प्रबंधन	• ग्राम स्तर/वार्ड स्तर जागरूकता समूह का गठन • क्षेत्र में भयादोहन की सूचना एकत्रित करना • क्षेत्र में विश्वास बनाने के उपाय करना
21/10/2015	464/एल एवं ओ/2015/ईपीएस	निर्वाचनों के दौरान प्रेस सम्मेलन के अनुदेश - तत्संबंधी	• सुरक्षा बलों की तैनाती के विवरणों को सार्वजनिक रूप से साझा करने के लिए कोई भी प्रेस सम्मेलन-मीडिया ब्रीफिंग नहीं • मीडिया को कोई भी जानकारी जरूरत पड़ने पर, या तो आयोग द्वारा या मुख्य निर्वाचन अधिकारी/अधिकारियों द्वारा दी जाएगी।

वीएम के साधन का इसकी शुरुआत के समय से प्रभावी रूप से उपयोग किया गया है और सामने आती अपेक्षाओं के अनुसार इसे समय-समय पर आशोधित/रूपांतरित किया गया है। संसदीय एवं विधान सभा के सभी साधारण निर्वाचनों में इस साधन का उपयोग करने के आठ वर्षों के अनुभव के बाद वीएम की कार्यविधि को अब सांस्थानिक

रूप दे दिया गया है। इन अनुभवों से जानकारी प्राप्त करके और देशभर की सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों से सीख लेकर, वीएम पर ईसीआई द्वारा निर्गत अनुदेशों की श्रृंखला को अब समेकित किया गया है और फील्ड में इसके और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस पुस्तिका में एक सुव्यवस्थित संरचना में आगे और प्रवर्धित किया गया है।

III. विधिक संरचना :

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग - निर्वाचनों में अनुचित प्रभाव डालना भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के तहत एक निर्वाचकीय अपराध है। कोई भी निर्वाचकीय अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग के साथ कोई भी अभिप्रेत हस्तक्षेप करना या हस्तक्षेप करने का प्रयास करना निर्वाचन में असम्यक् प्रभाव डालने का अपराध बनता है।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(2) - किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की, या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किए गए कोई प्रत्यक्षत: या परत: हस्तक्षेप या हस्तक्षेप के प्रयत्न को भ्रष्ट आचरण के रूप में परिभाषित करता है।

इसके अलावा, जो लोग अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करते हैं उनके अपराधों के आधार पर प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आईपीसी के विभिन्न अन्य सम्बद्ध उपबंध भी लगाए जा सकते हैं।

IV. अति-संवेदनशीलता के पैरामीटर

प्रत्येक डीईओ/आरओ के लिए जरूरी है कि वह अपने जिले/निर्वाचन-क्षेत्र में अति-संवेदनशीलता के संघटकों के संबंध में वर्तमान एवं विगत काल के रिकार्डों के आधार पर इनपुट एकत्रित करे। अनुबंध-I अति-संवेदनशीलता पर इनपुट एकत्रित करने के लिए पैरामीटरों का एक सेट उपलब्ध कराता है। डीईओ/आरओ को कम से कम छह महीने पहले ऐसी सूचना एकत्रित करनी चाहिए और बाद में निरंतर अद्यतनीकृत करते रहना चाहिए। अति-संवेदनशीलता मानचित्रण के कार्य के लिए सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति के उपरांत उन्हें यह इनपुट उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। अति-संवेदनशीलता मानचित्रण के कार्य के लिए उन्हें सक्षम बनाए जाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कैप्सूल का आयोजन भी किए जाने की जरूरत है। अति-संवेदनशीलता मानचित्रण का कार्य निष्पादित करते समय और सेक्टर अधिकारियों को लिखित ब्रीफ देते समय डीईओ/आरओ द्वारा जिन अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटरों पर भी विचार किए जाने की जरूरत है उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

i. मतदान-पूर्व शिकायतें: मतदान-पूर्व शिकायतें अति-संवेदनशीलता मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण इनपुट माना जाए। शिकायतें कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होती हैं। यह मतदान दिवस के काफी पहले राजनीतिक प्रतिस्पर्धापन की गहराई को दर्शाने वाली जीती-जागती घटना होती है। शिकायतें हमेशा वास्तविक नहीं होती हैं। हालांकि, निर्वाचन मशीनरी द्वारा सही सत्यापित की गई कई शिकायतें अति-संवेदनशीलता के सूचक के रूप में मानी जा सकती हैं। मतदान-पूर्व शिकायतों के सामान्य तौर पर दो आयाम होते हैं। एक एमसीसी से संबंधित होती हैं, दूसरी विविध स्वरूप की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से संबंधित होती है जो मुख्यतया राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा राजनीतिक जमीन बनाए रखने/पुष्ट करने/खोने से संबंधित होती हैं। दरअसल, दूसरे प्रकार की गतिविधि मतदान दिवस से काफी पहले घटित होनी शुरू हो जाती है। शिकायतें निर्वाचनों के पहले राजनीतिक दलों द्वारा महसूस किए जाने वाले कम्पनों का प्रकटन होती हैं।

ii. राजनीतिक दलों की कार्रवाई: मतदान से पहले एमसीसी मामलों के उल्लंधन से संबंधित शिकायतों का स्वरूप भी महत्वपूर्ण हैं। अनुभव सुझाते हैं कि राजनीतिक दल निजी संपत्ति पर दीवार-लेखन के लिए गृह स्वामियों की अनुमति लेने की इच्छुक नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसे लगभग स्वीकृत हुआ मान लिया जाता है। मतदाता

राजनीतिक दल, विशेषकर सत्ताधारी राजनीतिक दल नामक अत्यन्त संगठित निकाय के विरोध में आवाज उठाने का साहस नहीं जुटा सकते हैं। यह मतदाताओं में अति-संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न करता है। दरअसल, राजनीतिक दलों को निजी सम्पत्ति पर ग्रैफिटी लगाने की अनुमति देना प्रच्छन्न रूप से बाध्यकारी हो सकता है। इस संदर्भ में, एमसीसी उल्लंघनों की प्रवृत्ति का मतदान केन्द्र की अति-संवेदनशीलता की दृष्टि से काफी अधिक प्रभाव पड़ता है और इसलिए, अति-संवेदनशीलता के मानचित्रण पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

सेक्टर अधिकारी मतदान केन्द्र (केन्द्रों) के विजिट के दौरान अति-संवेदनशील क्षेत्रों की, विशेषकर गैर-वाम उग्रवाद क्षेत्रों में, जांच एवं निश्चयन करने के लिए, अनुबंध-।। में यथा-विहित प्रोफार्मा का उपयोग करेंगे।
सेक्टर अधिकारी की वीएम रिपोर्ट के अलावा डीईओ को निम्नलिखित अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए:
i. अति-संवेदनशीलता रिपोर्ट का प्रति-सत्यापन : सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के अपेक्षाकृत अधिक उच्च स्तर पर सूचना के संग्रहण, प्रति-सत्यापन और संकलन का कुछ अतिरिक्त तंत्र अवश्य होना चाहिए। एसडीपीओ/अन्य स्रोतों/जिला आसूचना इनपुट्स से उसमें कुछ और इनपुट्स जोड़े जा सकते हैं। इस तरह, अति-संवेदनशीलता योजना को युक्तिसंगत और यथार्थपरक बनाया जाए। साधारण विधान सभा निर्वाचनों के दौरान एसडीएम सब-डिवीजनल क्षेत्राधिकार के भीतर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के साथ समन्वयन करेंगे।
ii. इनपुट्स संग्रहित करने के अन्य अवसर :- आयोग ने अनुदेश जारी किया है कि रिटर्निंग अधिकारी बल की तैनाती से पहले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोचनीय बिंदुओं पर विचार करेंगे। राजनीतिक दलों से इनपुट्स लेने में इंटरफेस एसडीएम स्तर (और इसके नीचे नहीं) पर लिया जाए ताकि वैधीकरण पहले इस स्तर पर किया जाए और तदुपरांत डीईओ/आरओ के लेवल पर किया जाए।

iii. चूंकि मतदातागण सबसे बड़े हितधारक हैं इसलिए, मतदाताओं से सूचना साझा करने के लिए भी कुछ माध्यम होना चाहिए। हेल्पलाइन/कॉल सेंटर/कंट्रोल रूम सक्रिय किए जाएंगे और उनका पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाएगा। सेक्टर अधिकारियों को इन विवरणों से अच्छी तरह अवगत होना चाहिए।

V. अति-संवेदनशीलता मानचित्रण (वीएम) कार्य के तीन चरण
मतदान के लिए नियत सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में अति-संवेदनशीलता मानचित्रण (वीएम) कार्य निरपवाद रूप से निष्पादित किया जाएगा। वीएम कार्य तीन चरणों में घटित होता है:
i. धमकी या भयादोहन के प्रति अति-संवेदनशील मतदाताओं/मतदाता वर्गों (ग्राम/उपग्राम/क्षेत्रवार) की पहचान करना।
ii. ऐसी अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की पहचान करना।
iii. अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करना।

VI. अति-संवेदनशीलता मानचित्रण के लिए की जाने वाली कार्रवाई :
1. उपयुक्त सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके उत्तरदायित्व
a) नियुक्ति प्रक्रिया :
आयोग के निदेशों के अनुसार, 10 से 12 मतदान केन्द्रों, जिन्हें 1 से 2 घंटे में कवर किया जा सकता है, का पर्यवेक्षण करने के लिए भू-भाग एवं मैनपावर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एक सेक्टर अधिकारी या

सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जानी है। चूंकि, यह पद सबसे उत्तरदायी पदों में से एक है; इसलिए सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों की पहचान की जानी है। यदि जरूरत पड़े तो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की भी तैनाती की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए सेक्टर अधिकारी को, जरूरत पड़ने पर, वाहनगत, इंधनपरक, मोबाइल फोन सपोर्ट आदि सहित सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

यह नोट किया जाए कि सेक्टर अधिकारियों को, 10-12 मतदान केन्द्र लोकेशनों में से प्रत्येक के अंतर्गत कवर किए गए विनिर्दिष्ट सेक्शनों से संबंधित वीएम कार्य की देखरेख करने के लिए, नियुक्त किया जाता है इसलिए, इसे 10-12 मतदान केन्द्र लोकेशन न माना जाए। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद मतदान प्रक्रिया तक - सेक्टर अधिकारियों को मतदान दिवस से कम से कम 7 दिन पहले उसी क्षेत्र के लिए जोनल मजिस्ट्रेटों के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाएगा। उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी दी जाएंगी। सीईओ विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

ख) मतदान-पूर्व उत्तरदायित्व:

अति-संवेदनशीलता मानचित्रण से संबंधित सेक्टर अधिकारियों के मतदान-पूर्व उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

i. समय-सीमा के अनुसार वीएम कार्य शुरू करना।

ii. विश्वास निर्माण के उपायों एवं वीएम को सुचारू बनाने के लिए बारम्बार दौरा करना।

iii. धमकी एवं भयादोहन के प्रति अति-संवेदनशील मतदाताओं के ग्रामों, उप-ग्रामों एवं वर्गों की पहचान करना।

iv. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो इसे अति-संवेदनशील बनाते हैं - यह संख्याओं के बारे में नहीं है। यह नाम के बारे में है - आरओ/डीईओ को विहित फार्मेट में स्रोत का प्रकटन किए बगैर सूचना विहित फार्मेट में दी जानी है।

v. मतदान के लिए मतदाताओं की स्वतंत्र अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना।

vi. अति-संवेदनशील समुदाय के भीतर उनके टेलीफोन नंबरों के साथ संपर्क बिंदुएं।

vii. सेक्टर अधिकारी जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में काम करेंगे। इसलिए, पुलिस अधिकारी उनके साथ होंगे।

viii. चूंकि सेक्टर अधिकारी (एसओ) एक जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेंगे इसलिए, वे मतदान केन्द्रों के लिए स्केच मैप, मतदान केन्द्रों, निर्वाचन संबंधी अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों के टेलीफोन नंबरों की सूची, उत्तरदायी व्यक्तियों की सूची और असामाजिक तत्वों आदि की सूची के साथ एक जोनल मजिस्ट्रेट योजना तैयार करेंगे।

ix. अति-संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए श्रम निरीक्षकों एवं खाद्य तथा आपूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक करना।

x. शैक्षणिक संस्थानों, विशेषकर आवासीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक करना।

xi. फैक्ट्री/गोदाम मालिकों के साथ बातचीत करना।

xii. विश्वास निर्माण करने के लिए आरडब्ल्यूए/ग्राम प्रधान/सरपंच के साथ बैठक करना।

xiii. बीट सिपाही के साथ सूचना साझा करना।

xiv. मतदान केन्द्र/क्षेत्र के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

xv. जाति, पंथ एवं धर्म की दृष्टि से निर्वाचकों के वितरण की पहचान करना।

xvi. प्रिंटिंग प्रेस संचालित करने वाले व्यक्तियों की पहचान करना।

c) मतदान-दिवस उत्तरदायित्व :

मतदान दिवस के दिन सेक्टर अधिकारी से निम्नलिखित कार्य करने की अपेक्षा की जाती है:

i. इस बात की बारंबार जांच करना कि पूर्व में अभिचिह्नित अति-संवदेनशील वर्ग मतदान कर रहे हैं या नहीं।

ii. इस संबंध में खतरे का कोई संकेत मिलने पर उसे आरओ एवं जिला प्रशासन को तत्काल अलर्ट करना है।
iii. वह उड़न दस्तों की सहायता से अति-संवदेनशील वर्ग की जांच भी कर सकता है।
ऊपर वर्णित कार्यकलाप केवल निदर्शक हैं। स्थानीय संवेदनशीलताओं के आधार पर डीईओ/आरओ वीएम के प्रयोजनार्थ और अधिक कार्यकलाप जोड़ सकते हैं।

2. पुलिस स्टेशन स्तर पर सेक्टर पुलिस अधिकारी एवं नामोद्दिष्ट पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करना।

प्रत्येक पुलिस स्टेशन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का एक निश्चित क्षेत्र कवर करता है। वीएम के प्रयोजन के लिए; जिले के एसपी एक पुलिसकर्मी की व्यवस्था करेंगे जो सेक्टर पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, सेक्टर अधिकारी के साथ जाएगा और दिए गए इलाके में वीएम का कार्य संयुक्त रूप से संचालित करेगा। सेक्टर पुलिस अधिकारी सहायक सब-इंस्पेक्टर या पुलिस के प्रधान आरक्षक के रैंक से कमतर रैंक का नहीं होगा।

गड़बड़ी करने वालों का अलग-अलग ट्रैक करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखी जाए, थाना (पुलिस स्टेशन) स्तर पर एक विनिर्दिष्ट अधिकारी नामोद्दिष्ट किया जाएगा ताकि कानून एवं व्यवस्था तथा शांतिपूर्ण मतदान उचित रूप में सुनिश्चित हो सके। उसे अति-संवेदनशीलता मानचित्रण के लिए नामोद्दिष्ट पुलिस अधिकारी कहा जाएगा।

3.सेक्टर अधिकारियों एवं नामोद्दिष्ट पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण

सेक्टर अधिकारियों को बुनियादी सुख-सुविधाएं जैसे वाहन, इंधन, फोन आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। इनके अलावा, सेक्टर अधिकारियों एवं नामोद्दिष्ट पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित पहलुओं पर अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे अपने कर्तव्य सुचारू रूप से निष्पादित करने में सक्षम हो सकें। उन्हें संयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक को निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे:

i. उपग्राम के नाम आदि के साथ प्रत्येक मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली ताकि वे भाग में प्रत्येक वर्ग के मतदाताओं के साथ संपर्क करने में सक्षम हो सकें।
ii. मतदान केन्द्रवार बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं (पिछली बार अद्यतनीकृत)
iii. मतदाता टर्न-आउट (पिछले 2 साधारण निर्वाचनों में)
iv. लिंग अनुपात
v. एमसीसी उल्लंघन मामले (पिछले 2 साधारण निर्वाचनों में)
vi. उनके सेक्टर में पड़ने वाले मतदान केन्द्रों का विस्तृत विन्यास एवं लोकेशन देते हुए उनके क्षेत्र का रूट मैप (यह एक स्केच मानचित्र हो सकता है, इसका स्केल मानचित्र होना जरूरी नहीं है)
vii और अनुबंध-I के अनुसार अन्य विवरण

उनके संयुक्त विजिट कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे और प्रशिक्षण के समय दिए जाएंगे। आरओ एवं एसडीपीओ के साथ-साथ डीईओ एवं एसपी के संयुक्त प्रशिक्षण सत्र के दौरान वीएम का टॉपिक कवर किया जाएगा। आरओ एवं एसडीपीओ के साथ-साथ डीईओ एवं एसपी उनके द्वारा किए गए कार्य का अनुवीक्षण करने के लिए इन अधिकारियों के साथ आवधिक संयुक्त समीक्षा करेंगे और उनके संयुक्त दौरों के दौरान सामने आए विंदुओं पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे।

4. राज्य के कानून एवं व्यवस्थ पैनल को चालू करने के संबंध में।

ईसीआई अनुदेश सं. 464/अनुदेश/2009/ईपीएस दिनांक 1/9/2009 के निदेश के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए अपेक्षित है कि वह आयोग को दो रिपोर्टें प्रतिदिन दे - कानून एवं व्यवस्था रिपोर्ट-1 (एलओआर-1) और कानून एवं व्यवस्था रिपोर्ट-2 (एलओआर-2)। ये रिपोर्टें निम्नलिखित का संचित सार होती हैं:

- की गई निवारक कार्रवाई
- जब्ती रिपोर्टें - गैर-कानूनी हथियार, शराब, ड्रग्स, आदि
- अति-संवेदनशील क्षेत्र, व्यक्ति एवं भयादोहन करने वाले व्यक्ति तथा की गई कार्रवाई।
- एनबीडब्ल्यू मामले
- सूचीबद्ध मद्यतस्कर
- पीएएसए बंदी
- तड़ीपार मामले
- बदमाश व्यक्ति
- कोई सम्बद्ध मीडिया रिपोर्ट

ऊपर उल्लिखित मामलों में से प्रत्येक का विवरण राज्य द्वारा बनाए रखे जाने वाले कानून एवं व्यवस्था पोर्टल पर किया जाएगा। इस पोर्टल में अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों एवं प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का मतदान केन्द्रवार विवरण बनाए रखे जाने की उम्मीद है। यह पोर्टल निर्वाचनों की घोषणा के पहले काफी समय रहते चालू हो जाएगा।

5. अति-संवेदनशील क्षेत्रों/वर्गों/ग्रामों/उपग्रामों की पहचान करना।

i. सेक्टर अधिकारी या सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा अति-संवेदनशीलता मानचित्रण की क्रिया का पहला चरण आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के बाद तत्काल प्रभाव से किया जाना है। सेक्टर अधिकारी और एचसी/एएसआई/पुलिस अधिकारी प्रत्येक इलाके का संयुक्त रूप से दौरा करेंगे।

ii. उनके लिए यात्रा कार्यक्रम पर रिटर्निंग अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक/एसडीपीओ द्वारा संयुक्त रूप से फैसला लिया जाएगा।

iii. सेक्टर अधिकारी और उसकी टीम को अपने सेक्टर में प्रत्येक मतदान केन्द्र क्षेत्र में प्रत्येक मुहल्ले/पॉकेट का अवश्य दौरा करना चाहिए, स्थानीय लोगों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना चाहिए, आसूचना एकत्रित करनी चाहिए, और अति-संवेदनशील घर-परिवारों एवं परिवारों के साथ-साथ वहां ऐसी अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों एवं कारकों की सूची बनानी चाहिए।

iv.यह कार्य करते समय वे विगत काल की घटनाओं और वर्तमान आशंकाओं को ध्यान में रखेंगे।

v. दौरे के बाद, वे अनुबंध-।। में इसके साथ संलग्न प्रोफार्मा में कवर किए गए सभी विंदुओं के लिए सूचना तैयार करेंगे, और अनुबंध III, IV और V में संगत फार्म भी भरेंगे।

vi. स्थानीय पुलिस अधिकारी और स्थानीय सिविल प्राधिकारीगण जैसे टीडीओ/मामलातदार/पुलिस निरीक्षक आदि से भी परामर्श किया जाएगा और सूची/फार्मों को अंतिम रूप देते समय उनके इनपुट्स को ध्यान में रखा जाएगा।

vii. अनुबंध ।। पर स्थित फार्मेट केवल एक समर्थकारी के निमित्त है; और संग्रहित सूचना उस तक सीमित नहीं हो सकती है। अतिरिक्त सूचना केवल तभी जोड़ी जा सकती है जब उसका मतदान केन्द्र की अति-संवेदनशीलता से कोई सरोकार हो।

viii. निर्वाचन-क्षेत्र में प्रेक्षक के आगमन पर डीईओ/आरओ संगत विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का मतदान केन्द्रवार अति-संवेदनशीलता मानचित्रण का विवरण सौंपेंगे। (कृपया अनुबंध VI और VIII देखें)

ix. प्रेक्षक भी ऐसे लोकेशनों का दौरा करेंगे और मतदाताओं के साथ बातचीत करेंगे और घटनाक्रम का निरंतर अनुवीक्षण करेंगे।

6. ऐसी अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की पहचान करना।

मतदाताओं/गांवों को अति-संवेदनशील बनाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की पहचान करने का यह कार्य मतदान केन्द्रवार किया जाएगा जिसमें ग्राम, उपग्राम, गड़बड़ी करने वाले संभावित व्यक्तियों के नाम, उनके पतों के सहित, और इसी तरह की अन्य जानकारी दर्शाई जाएगी। यह कार्य मुखबिरों/स्रोत की, यदि ऐसी इच्छा व्यक्त की गई हो, सम्पूर्ण गोपनीयता बरकरार रखते हुए की जाएगी।

7. अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई

i. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिले के पुलिस अधीक्षक इस मुद्दे की संयुक्त रूप से समीक्षा करेंगे और अभिज्ञात संभावित धमकियों और भयादोहन से निपटने के लिए एक संकेन्द्रित कार्य-योजना को अंतिम रूप देंगे। कार्य-योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, गड़बड़ी करने वाले संभावित व्यक्तियों को कानून की उपयुक्त धारा के अंतर्गत बंधन में लाना, हथियार जब्त करना, निवारक निरोध, यदि जरूरी हो तो, उनकी स्थानीय पुलिस थाने में तर्कसंगत अंतरालों पर उपस्थिति सुनिश्चित करना ताकि उनका अच्छा व्यवहार सुनिश्चित हो सके, पुलिस पिकेटों की तैनाती, विश्वास का निर्माण करने के नियमित दौरे आदि, शामिल हो सकते हैं।

ii. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सभी प्रकार के निवारक उपाय सुनिश्चित करेंगे ताकि मतदान के दिन उनका भयादोहन/अवरोधन सचमुच नहीं घटित हो।

iii. यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि ऐसे सभी प्रकार के उपाय किसी राजनीतिक दल के प्रति बिना कोई डर या पक्षपात के पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से किए जाएं।

iv. अति-संवेदनशील समूहों के भीतर से संपर्क व्यक्तियों के नामों की पहचान भी की जाए और उनके संपर्क नंबर/मोबाइल नंबर, यदि कोई हो, नोट किए जाने चाहिए।

v. गड़बड़ी करने वाले अलग-अलग व्यक्तियों को ट्रैक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जाए, अति-संवेदनशीलता मानचित्रण के लिए नामोद्दिष्ट पुलिस अधिकारी को प्रत्येक थाना में नियुक्त किया जाना है, जैसाकि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

vi. अति-संवेदनशील मतदाताओं से एपिक छीनने और धन के बदले एपिक जमा करने (जिससे कि उन्हें उनके मताधिकार का प्रयोग करने से रोका जा सके) की घटनाओं पर रोक लगाई जाएगी। डीईओ/एसपी/आरओ स्थिति का सतर्कतापूर्वक अनुवीक्षण करेंगे और इस संबंध में तत्परतापूर्वक सभी प्रकार की उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

vii. डीईओ/एसपी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान की व्यवस्थाओं को लेकर मतदाताओं का भरोसा बढ़ाने के लिए विश्वास का निर्माण करने के उपाय करेंगे।

viii. डीईओ/एसपी ऐसे लोकेशनों पर, अधिमानत: संयुक्त रूप से, दौरे करेंगे और समुदायों से मिलेंगे और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए की गई व्यवस्थाओं को स्पष्ट करेंगे।

ix. विश्वास का निर्माण करने के लिए अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी दौरे किए जाएंगे। एसडीएम/डिप्टी एसपी; तहसीलदार/पीआई के संयुक्त दौर काफी प्रभावी होंगे और इन दौरों की योजना ऐसे क्षेत्रों के लिए बनाई जाएगी जिन्हें सबसे अधिक अति-संवेदनशील अभिचिह्नित किया गया है। विजिटिंग अधिकारी अति-संवेदनशील व्यक्तियों/समूहों के साथ बैठकें आयोजित करेंगे और गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों के लिए चेतावनी जारी करेंगे कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से ट्रैक किया जाएगा। ये कार्रवाईयां संकेन्द्रित तरीके से की जाएंगी।

x. सिविल एवं पुलिस प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से गश्त लगाना:- सिविल एवं पुलिस प्राधिकारियों द्वारा मतदान के दस दिन पहले से लेकर मतदान के दो दिन पहले तक [पी (-10) से पी (-2)] संयुक्त गश्त की जाएगी। अपेक्षाकृत अधिक उच्चतर रैंक के सिविल प्राधिकारियों की उपस्थिति से भरोसा कायम होगा। साथ ही, फोर्स तैनाती योजना को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स प्राप्त होंगे।

xi. डीईओ/आरओ नियमित फीडबैक प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे।

xii. इस विषय पर जिला आसूचना (एल.आई.बी.) से भी नियमित फीडबैक प्राप्त किए जा सकते हैं।

xiii. जहां ऐसे अति-संवेदनशील पॉकेट्स के कलस्टर हों वहां डीईओ समर्पित पुलिस टीमों/दस्तों की व्यवस्था करेंगे और उन्हें आस-पास के सुविधाजनक लोकेशनों पर तैनात करेंगे ताकि उन्हें मतदान के दिन बिना कोई समय गंवाए कार्रवाई के लिए सेवा में लगाया जा सके। यह जिला सुरक्षा योजना का निरपवाद रूप से हिस्सा बनेगा।

xiv. महिला मतदाताओं के बीच जागरूकता लाना: बिना भय एवं प्रभाव के मतदान करने पर महिला मतदाताओं के बीच जागरूकता लाना जरूरी है क्योंकि वे न केवल बाहरी लोगों द्वारा बल्कि परिवार के भीतर भी भयादोहन एवं अनुचित प्रभाव का आसान लक्ष्य बनती हैं ।

xv. ग्राम स्तरीय/वार्ड स्तरीय जागरूकता समूह (वीएजी/डब्ल्यूएजी) का गठन करना ताकि क्षेत्र में भयादोहन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने तथा क्षेत्र में विश्वास का निर्माण करने के उपायों के लिए उन्हें सक्रिय किया जा सके। (ईसीआई अनुदेश सं. 76/अनुदेश/2014/ईईपीएस/वाल्यूम-IV दिनांक 7 मार्च 2014)

xvi. एफएसटी, एसएसटी, वीवीटी द्वारा 24 घंटे निगरानी करना।

8. रिपोर्टिंग फार्मेट

क. सेक्टर अधिकारी द्वारा रिपोर्ट करना:

सेक्टर अधिकारी निम्नलिखित फार्मेट्स को सावधानीपूर्वक भरेंगे:

- वीएम-2 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशीलता की जांच एवं निर्धारण करने के लिए प्रोफार्मा (अनुबंध ।।)
- वीएम-3 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशील मुहल्लों/पॉकेटों/मतदाता वर्गों की सूची बनाने के लिए मतदान केन्द्रवार फार्मेट और भयादोहन करने वाले व्यक्तियों की सूची (अनुबंध ।।।)
- वीएम-4 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशील मुहल्लों/पॉकेटों/मतदाता वर्गों की सूची बनाने के लिए मतदान केन्द्रवार सारांश और भयादोहन करने वाले व्यक्तियों की सूची (अनुबंध IV)
- वीएम-5 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट/प्रधान आरक्षक/सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र (अनुबंध V)

ये फार्मेट ऐसे प्रत्येक मुहल्ले/पॉकेट के लिए उस समय अवश्य रूप से भरे जाने हैं जब सेक्टर अधिकारी मुहल्ले का दौरा कर रहे हों। सेक्टर अधिकारी को भरे हुए फार्मेट्स की प्रतियां अवश्य रखनी चाहिए और *निर्वाचनों की घोषणा के 3 दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को भरे हुए फार्मेट प्रस्तुत कर देने चाहिए।*

यदि विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर ऐसे कोई अति-संवेदनशील उपग्राम या ग्राम की पहचान न की जाए तो संबंधित डीईओ थाना/ब्लॉक स्तर एवं सब डिवीजनल स्तर से और एस.पी. से फील्ड पदाधिकारियों से एक प्रमाण पत्र हासिल करेंगे और आखिर में सीईओ को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि इस जिले के भीतर ऐसे कोई अति-संवेदनशील ग्राम या उपग्राम या मतदाता वर्ग मौजूद/अभिज्ञात नहीं हैं। *ऐसे प्रमाण पत्र निर्वाचनों की घोषणा के 5 दिनों के भीतर भेजे जाएंगे।*

ख. रिटर्निंग अधिकारी की वीएम रिपोर्ट :

निर्वाचन-क्षेत्र के आरओ उपर्युक्त सभी सूचना का संकलन करेंगे और संपूर्ण निर्वाचन-क्षेत्र के लिए वीएम को अंतिम रूप देंगे और उसकी एक प्रति रखते हुए, उसे *निर्वाचनों की घोषणा के 5 दिनों के भीतर* डीईओ को निम्नलिखित फार्मेट में उपलब्ध कराएंगे :

- फार्मेट वीएम-6 (आरओ) : रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशीलता का सारांश और अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की सूची (अनुबंध VI)

ग. डीईओ की वीएम रिपोर्ट :

इसी तर्ज पर, डीईओ को वीएम/आरओ फार्मेट अवश्य संग्रहित करना चाहिए और निर्वाचन की घोषणा के 7 दिनों के भीतर फार्मेट, 'वीएम/डीईओ' तैयार करना चाहिए और सीईओ को उपलब्ध कराना चाहिए। डीईओ रिपोर्टिंग के लिए विहित फार्मेट निम्नलिखित के अनुसार है:

- फार्मेट वीएम-7 (डीईओ): जिला स्तर पर अति-संवेदनशीलता की रिपोर्ट, और जिला स्तर पर की गई कार्रवाई (अनुबंध VII)

सीईओ को राज्य के सभी जिला फार्मेट वीएम/डीईओ का एक पुस्तक में अवश्य संकलन करना चाहिए और उसके अनुपालन की सूचना निर्वाचनों की घोषणा के 10 दिनों के भीतर आयोग को उपलब्ध करानी चाहिए।

9. सीपीएफ के लिए क्षेत्र प्रभुत्व योजना एवं मतदान दिवस तैनाती

- डीईओ द्वारा सीपीएफ के कमांडरों/सहायक कमांडरों को ऐसे अति-संवेदनशील लोकेशनों की एक सूची दी जाएगी।
- क्षेत्र प्रभुत्व के लिए जहां कहीं भी सीपीएफ पहुंचता है वहां ऐसे लोकेशनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- मतदान के दिन कमांडर/सहायक कमांडर विश्वास का निर्माण करने के लिए एक उपाय के रूप में ऐसे अति-संवेदनशील पॉकेटों का दौरा अवश्य करेंगे।
- यदि उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा का पता चलता है तो वे उसे नोट करेंगे और तुरंत कोई भी निर्वाचकीय अधिकारी जैसे आरओ/डीईओ/एसपी/प्रेक्षक/सेक्टर अधिकारी को सूचित करेंगे और उनके द्वारा सूचना दिए जाने का समय नोट करेंगे।

10. मतदान के दिन अति-संवेदनशील क्षेत्रों/व्यक्तियों का अनुवीक्षण करना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अति-संवेदनशील व्यक्ति, यदि कोई हों, बिना किसी डर, धमकी या भयादोहन के मतदान कर सकें, निम्नलिखित कार्रवाईयां किए जाने की जरूरत है:

- मतदान पार्टियों को प्रेषण केन्दों से डिस्पैच करते समय आरओ संबंधित पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र क्षेत्र के भीतर के अति-संवेदनशील लोकेशनों से अवगत कराएंगे।
- सेक्टर अधिकारी अति-संवेदनशील लोकेशनों के संदर्भ में विशेषकर किसी वर्ग/वर्गों के भीतर मतदाता टर्नआउट की असामान्य रूप से कम प्रतिशतता को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसका संवीक्षा आदि के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है।
- मतदान के दिन सेक्टर मजिस्ट्रेट और मोबाइल बल ऐसे ग्रामों/उपग्रामों/वास-स्थानों का कम से कम दो बार दौरा करेंगे जिन्हें अति-संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अभिचिह्नित किया गया है और जहां मतदाताओं के संभव भयादोहन की रिपोर्टें हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट और मोबाइल बल इन क्षेत्रों के अपने विजिट के दौरान सुनिश्चित करेंगे कि जहां कहीं भी जरूरी हो, ऐसे अति-संवेदनशील मतदाताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा कवर उपलब्ध कराए जाएं।
- मतदान के दौरान, प्रेक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मतदान केन्द्र का दौरा करते समय इस समस्या पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और जहां कहीं भी ऐसे कोई अनुचित प्रभाव, भयादोहन/बाधा उत्पन्न किए जा रहे हैं उसका पता लगाएंगे।
- पुलिस गश्ती पार्टियां अति-संवेदनशील लोकेशनों को ट्रैक करती रहेंगी और कंट्रोल रूम को सूचित करते रहेंगी। सभी मतदाता बिना किसी भय के अपने मत डाल पाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पिकेट स्थापित किए जाएंगे।
- सीपीएफ के कमांडर/सहायक कमांडर मतदान के दिन विश्वास का निर्माण करने के उपाय के रूप में ऐसे अति-संवेदनशील पॉकेटों को अवश्य विजिट करेंगे। यदि उन्हें किसी प्रकार की बाधा का पता चलता है तो वे

उसे नोट करेंगे और तत्काल कोई भी निर्वाचकीय अधिकारी जैसे आरओ/डीईओ/एसपी/प्रेक्षक/सेक्टर अधिकारी को सूचित करेंगे और सूचना दिए जाने के समय को नोट करेंगे।

- निर्वाचन स्टॉफ (ऐसे अति-संवेदनशील क्षेत्रों का अनुवीक्षण करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, पीठासीन एवं मतदान स्टॉफ को अवगत कराया जाए)।
- अति-संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त बल की तैनाती।

11. मतदान के बाद आरओ/डीईओ/प्रेक्षक की भूमिका

क. आरओ/डीईओ मतदान के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय व्यापक पैमाने पर किए गए भयादोहन/धमकी/बाधा, यदि कोई घटित हुई हो, के बारे में इनपुट लेंगे।

ख. प्रेक्षक वीएम के मुद्दे पर अपना पूरा ध्यान देंगे और उसका हरेक चरण पर सत्यापन करेंगे। अपनी आखिरी रिपोर्ट में इस मुद्दे के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा, वे फार्म 17क का और फार्म 17क की संवीक्षा के समय मतदान केन्द्रों में प्रयुक्त निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का, यदि आयोग द्वारा आदेश दिया गया हो तो, गहराई से अध्ययन करेंगे।

12. जवाबदेही एवं गोपनीयता:

आयोग ने निदेश दिया है कि प्रत्येक चरण पर अति-संवेदनशीलता मानचित्रण एवं फॉलो-अप के लिए विभिन्न सिविल एवं पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही प्रत्येक मतदान केन्द्र/निर्वाचन-क्षेत्र के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएगी। इस मामले में किसी पुलिस/सिविल अधिकारियों की ओर से ड्यूटी में लापरवाही बरतने के मामले में गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

यह सलाह दी जाती है कि अति-संवेदनशीलता मानचित्रण, अति-संवेदनशील क्षेत्रों, उपग्रामों, गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों आदि के संबंध में न तो किसी प्रकार के प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और न ही किसी प्रकार का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह, किसी भी निर्वाचन में इस प्रयोजन के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती करने के संबंध में किसी भी प्रकार का विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस संबंध में, मशीनरियां तैनात करने के बारे में उपयुक्त अनुदेश दिए जाएं। अति-संवेदनशीलता के बारे में मीडिया को कोई भी जानकारी, यदि जरूरत पड़ी तो, केवल आयोग द्वारा या आयोग के अनुदेशों पर संबंधित राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

आयोग ने यह एकदम स्पष्ट कर दिया है कि किसी डीईओ द्वारा निर्धारित समय के भीतर एटीआर प्रस्तुत न करने के मामले में, उसे, तत्काल फॉलो अप कार्रवाई किए जाने के लिए सीईओ द्वारा संबंधित उप निर्वाचन आयुक्त के ध्यान में लाया जाए।

VII. अति-संवेदनशीलता मानचित्रण के लिए समय-सीमा:

क्र. सं.	**कार्यकलाप**	**समय-सीमा**
1	डीईओ/आरओ द्वारा प्रत्येक वि.स. पर आधारिक सूचना का संग्रहण एवं संकलन	निर्वाचन से छह महीने पहले
2	डीईओ/आरओ द्वारा आधारिक सूचना का अद्यतनीकरण (अनुबंध-I के अनुसार)	सेक्टर अधिकारी को सौंपने से पहले
3	सेक्टर अधिकारियों एवं पुलिस सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति	निर्वाचन से छह से चार महीने पहले

4	पुलिस स्टेशन स्तर पर नामोद्दिष्ट पुलिस अधिकारी की नियुक्ति	निर्वाचन से छह से दो महीने पहले
5	सेक्टर अधिकारियों एवं नामोद्दिष्ट पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं डीईओ/आरओ द्वारा सेक्टर अधिकारियों को वि. सभा निर्वाचन क्षेत्र की बुनियादी जानकारी देना।	निर्वाचन से चार से दो महीने पहले
6	ईसीआई द्वारा राज्य के कानून एवं व्यवस्था पोर्टल को चालू करना	निर्वाचन से चार महीने पहले
7	अनुबंध -I, II, III, IV & V में अति-संवेदनशील क्षेत्रों/वर्गों/ग्रामों/उपग्रामों, ऐसी अति-संवेदनशीलताएं उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों आदि की पहचान करना	आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी करने के बाद और राजपत्र अधिसूचना जारी करने के पहले
8	ऐसी अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की पहचान करना	राजपत्र अधिसूचना जारी करने के 5 दिनों के भीतर
9	सभी वीएम रिपोर्टों का फार्मेट (अनुबंध II, III, IV & V में) में आरओ को प्रस्तुतीकरण	निर्वाचनों की घोषणा के 3 दिनों के भीतर
9क	आरओ द्वारा सभी सेक्टर अधिकारी रिपोर्टों का संकलन और डीईओ को प्रस्तुतीकरण (अनुबंध VI में)	निर्वाचनों की घोषणा के 5 दिनों के भीतर
9ख	डीईओ द्वारा सभी आरओ की वीएम रिपोर्टों का संकलन और सीईओ को प्रस्तुतीकरण (अनुबंध VII में)	निर्वाचनों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर
10	डीईओ द्वारा सीईओ को विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में कोई भी अति-संवेदनशील ग्राम/क्षेत्र न होने के प्रमाण पत्रका प्रस्तुतीकरण	निर्वाचनों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर
11	सभी डीईओ की वीएम रिपोर्टों का संकलन और ईसीआई को प्रस्तुतीकरण	निर्वाचनों की घोषणा के 10 दिनों के भीतर
12	अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई	मतदान के दिन से कम से कम 5 दिन पहले
13	अति-संवेदनशील अभिचिह्नित क्षेत्रों में डीएम/एसपी; एसडीएम/डिप्टी एसपी; तहसीलदार/पीआई द्वारा संयुक्त रूप से विश्वास निर्माण दौरों की योजना बनाना एवं निष्पादित करना	मतदान दिवस से पहले 2 सप्ताहों के भीतर
14	सीपीएफ द्वारा मतदान-पूर्व क्षेत्र प्रभुत्व स्थापित करना	मतदान दिवस से कम से कम 3-5 दिन पहले
15	प्रेक्षकों, डीईओ/आरओ, एसओ, पुलिस द्वारा अति-संवेदनशील क्षेत्रों/व्यक्तियों की कड़ी निगरानी एवं अनुवीक्षण करना	मतदान के दिन

अति-संवेदनशीलता मानचित्रण का कार्य ***छह से चार महीने पहले*** शुरू हो जाएगा ताकि जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक उस समय से स्थिति से पूरी तरह अवगत हों जब आयोग द्वारा उसकी समीक्षा की जाए। यह नोट किया जाए कि अति-संवेदनशीलता मानचित्रण का कार्य एक मतदान-पूर्व कार्य है इसलिए, यथा-निर्धारित सभी कार्यकलाप निर्धारित समय-अनुसूची के अनुसार पूरे किए जाने हैं।

अनुबंध-I

वीएम-1- सेक्टर अधिकारी द्वारा वीएम का कार्य शुरू करने से पहले उसे डीईओ/आरओ द्वारा प्रत्येक वि. सभा के बारे में उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना

1. वि.स. निर्वाचन क्षेत्र में पिछले संसदीय निर्वाचनों में पंजीकृत निर्वाचन अपराधों की संख्या (जहां जरूरी हो वहां विवरण दें)
2. वि.स. निर्वाचन क्षेत्र में पिछले विधान सभा निर्वाचन में पंजीकृत निर्वाचन अपराधों की संख्या (जहां जरूरी हो वहां विवरण दें)
3. वि.स. निर्वाचन क्षेत्र में पिछले स्थानीय निकाय निर्वाचन में पंजीकृत निर्वाचन अपराधों की संख्या (जहां जरूरी हो वहां विवरण दें)
4. पिछले एक वर्ष में क्षेत्र में पंजीकृत गंभीर आपराधिक मामलों, यदि कोई हों, की संख्या (जहां जरूरी हो वहां विवरण दें)
5. पिछले संसदीय निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, यदि कोई हो, (जहां जरूरी हो वहां विवरण दें)
6. पिछले विधान सभा निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, यदि कोई हो, (जहां जरूरी हो वहां विवरण दें)
7. संसद या विधान सभा के पिछले साधारण निर्वाचन या किसी उप-निर्वाचन में पुनर्मतदान, यदि कोई हो, के विवरण
8. मद्य-निषेघ कानून से संबंधित मामलों के विवरण - अवधि निर्दिष्ट की जानी है।
9. वि. सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से संबंधित मतदान-पूर्व शिकायतों, यदि कोई हो, का विवरण
10. कोई अन्य मतदान-पूर्व शिकायतों का विवरण
11. नार्कोटिक ड्रग्स एवं सायकोट्रॉपिक सब्सटेन्सेज एक्ट का उल्लंघन करने वाले मामलों का विवरण
12. पिछले 06 महीनों में विधान सभा क्षेत्र में या क्षेत्र से सामान्य से अधिक प्रवजन होने, यदि कोई हो, के संबंध में सूचना
13. पिछले संसदीय निर्वाचनों में मतदाता टर्नआउट, % के साथ
    - पुरुष:
    - महिला:
    - समग्र:
    -
14. पिछले संसदीय निर्वाचनों में मतदाता टर्नआउट, % के साथ
    - पुरुष:
    - महिला:
    - समग्र:

15. वि.स. क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों के नाम जो वर्तमान में तड़ीपार के अधीन हैं या पीएएसए के अंतर्गत निरोधित हैं (विवरण दें, यदि सूचना संवेदनशील नहीं है तो)

16. संगत राज्य आबकारी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्र में पंजीकृत केसों की सं. एवं महत्वपूर्ण मामलों का विवरण:
    1. पिछले संसदीय निर्वाचन में
    2. पिछले विधान सभा निर्वाचन में
    3. पिछले एक वर्ष में
17. हथियार संबंधी सूचना

(अनुबंध ।।)

(यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह रिपोर्ट संपूर्ण सेक्टर के लिए या प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अलग से या प्रत्येक ग्राम/मुहल्ले के लिए अलग से प्रस्तुत की जानी है)

वीएम-2 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशीलता की जांच एवं निर्धारण करने के लिए प्रोफार्मा

इस फार्मेट को भरने के लिए अनुदेश:

1. यह एक निदर्शी फार्मेट है और अति संवेदनशीलता मानचित्रण करने के लिए प्रारंभिक गाडड के रूप में काम करता है।
2. इस फार्मेट में चाहे कितनी भी संख्या में ऐसे अन्य स्थानीय मुद्दे, जिनकी संबंधित क्षेत्र की अति संवेगनशीलता अरक्षितता पर विवक्षाएं हो सकती हैं, इस फार्मेट में जोड़े जा सकते हैं।
3. यदि मुखबिरों द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त की गई हो तो सेक्टर अधिकारी को सूचना के स्रोत/स्रोतों के प्रकटन पर जोर नहीं डालना चाहिए; और दरअसल, उसकी गोपनीयता के लिए उत्तरदायी होगा।

1.	ग्राम/उपग्राम/मुहल्ले का नाम	
2.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम एवं संख्या	
3.	सेक्टर नं.	
4.	शामिल मतदान केन्द्र/दों, ग्राम एवं क्षेत्र का नाम एवं सं.	
	मतदान केन्द्र का नाम एवं सं.	शामिल क्षेत्र का विवरण
5.	क्या पिछले एक वर्ष के दौरान ग्राम/क्षेत्र में दो या अधिक जातियों/समुदायों/समूहों के बीच झड़पें हुई हैं ? (यदि हां, तो उसका विवरण)	
6.	क्या ग्राम/क्षेत्र में ऐसी कोई घटना/घटनाएं घटित हुई हैं जिनके परिणामस्वरूप दो या अधिक जातियों/समुदायों/समूहों के बीच बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक हाथापाई हुई है ? (यदि हां, तो उसका ब्यौरा और शामिल समूह)	
7.	क्या पिछले विधान सभा/संसदीय/स्थानीय निकाय निर्वाचन के दौरान कोई निर्वाचन संबंधी अपराध/घटनाएं घटित हुई हैं ? (यदि हां तो उसका ब्यौरा)	
8.	ग्राम में पिछले एक वर्ष के दौरान घटित/पंजीकृत हत्या, बलात्कार, अत्याचार, दंगे जैसे गंभीर अपराधों का विवरण और शामिल व्यक्ति/समूह और वह क्षेत्र जिसमें यह घटित हुआ ?	
9.	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम जिन्हें पिछले एक वर्ष के दौरान पीएएसए के तहत तड़ीपार या बंद किया गया है ?	

10	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम जिन्हें वर्तमान में पीएएसए के तहत तड़ीपार या बंद किया गया है ?
11	क्या ग्राम/क्षेत्र और आसपास में विद्यमान राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर भिडंत होने की घटनाओं की संभावना है ? (यदि हां तो उसके कारण और शामिल समूह)
12	क्या किसी जाति/समूह/घर-परिवार को इस बात की आशंका है कि उन्हें मत डालने से रोका जाएगा (यदि हां तो जाति/समूह/घर-परिवार का विवरण और उन्हें मिल रही धमकी का प्रकार)
13	महिला मतदाताओं के दृष्टिकोण से मत डालने के लिए सामान्य परिवेश
14	क्या किसी जाति/समुदाय/समूह/घर-परिवार को इस बात का भय है कि उन्हें मत डालने से रोका जाएगा (यदि हां तो ऐसे व्यक्ति/घर-परिवार/समूह के प्रकार का विवरण और उन्हें किनसे डर है वे किस कारण से भयभीत हैं)
15	ऊपर उल्लिखित किसी भी कारण से अति-संवेदनशील मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या
16	मतदान केन्द्र किस दृष्टिकोण से अति-संवेदनशील है ? क्या अति-संवेदनशीलता किसी व्यक्ति या समूह द्वारा उत्पन्न की गई है ?
17	क्या गांव में घुमंतू जनजातियों और/या कोई बहिष्कृत समुदाय के व्यक्ति निवास कर रहे हैं ? क्या उन्हें किसी के द्वारा डराया-घमकाया गया है ? क्या कोई डर है ? यदि हां, तो किससे ? नाम दें।
18	क्या सेक्टर अधिकारियों द्वारा अति-संवेदनशील व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन, नियंत्रण कक्ष, पुलिस निरीक्षक के टेलीफोन नंबर और अन्य महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं ?
19	क्या अति-संवेदनशील क्षेत्र/ग्राम के भीतर संपर्क के कुछ विंदुओं की पहचान कर ली गई है ताकि ऐसे घटनाक्रम से संबंधित सूचना को निरंतर ट्रैक किया जा सके। उसका विवरण दें।
20	क्या पिछले दो साधारण निर्वाचनों के दौरान गांव में नकदी, शराब, मोबाइल रिचार्ज, लंच आदि के रूप में अभ्यर्थी द्वारा प्रलोभन दिए जाने के मामले ध्यान में आए हैं ? (महिलाओं एवं युवा मतदाता के संदर्भ में जांच करें)
21	ऐसे मतदान केन्द्रों के नाम एवं संख्या जो अति-संवेदनशील नहीं हैं।
22	अन्य विवरण, यदि कोई हों तो।
23	गांव के ऐसे लोगों के विवरण जिनकी उपस्थिति में ऊपर उल्लिखित समीक्षा की गई (उनमें से, दो प्रौढ़ व्यक्ति, दो महिलाएं और दो युवा और अन्य व्यक्ति) - नोट: ये विवरण केवल तभी रिकार्ड किए जाने हैं जब स्रोत अपने विवरणों का प्रकटन करने के लिए तैयार हों।

4.

	सं.	नाम	निवास, ग्राम के किस क्षेत्र में है	हस्ताक्षर
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
प्रधान आरक्षक/सहायक उप निरीक्षक के हस्ताक्षर **नाम:** **पदनाम:** **टेलीफोन नं.:** **सेक्टर नं.:** **वि.स. सं.:**			सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर **नाम:** **पदनाम:** **टेलीफोन नं.:** **सेक्टर नं.:** **वि.स. सं.:**	

अनुबंध ।।। (मतदान केन्द्रवार)

वीएम-3 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशील मुहल्लों/पॉकेटों/मतदाता वर्गों की सूची बनाने के लिए मतदान केन्द्रवार फार्मेट और भयादोहन करने वाले व्यक्तियों की सूची

सेक्टर अधिकारी को यह फार्मेट भरने से पहले निम्नलिखित नोट करना है:

1. सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने सेक्टर में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक अलग फार्मेट वीएम/एसओ-।।। ए (अनुबंध-।।।) तथा उतने ही वीएम-एसओ ।।ए भरना है जितने उसके सेक्टर में मतदान केन्द्र की संख्या है।

2. प्रत्येक फार्मेट वीएम/एसओ-।। ए में सेक्टर के एक मतदान केन्द्र क्षेत्र में सभी अति-संवेदनशील मुहल्लों/पॉकेटों/मतदाता वर्गों के ब्यौरे अवश्य होने चाहिए।

3. यह अवश्य सुनिश्चित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि किसी भी मतदान केन्द्र क्षेत्र के लिए कोई भी मुहल्ला/पॉकेट/मतदाता वर्ग जो अति-संवेदनशील है, इस फार्मेट में शामिल किए जाने से छूट न जाए।

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या एवं नाम:----------

सेक्टर सं.:----------

मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम:----------

I. मुहल्ले का नाम:---------- सूचना की तारीख:----------

क. अति-संवेदनशील घर/परिवारों की सूची

क्र. सं.	मुहल्ले में उस घर-परिवार/परिवार की मकान सं./पारिवारिक नाम/अन्य पहचानपरक ब्यौरे जिनमें अति-संवेदनशील मतदाता रहते हैं	स्तंभ 2 में अति-संवेदनशील के रूप में अभिचिह्नित घर/परिवार में अभिज्ञात मतदाताओं की संख्या	घर-परिवार का संपर्क नं., यदि कोई हो तो	की गई/प्रस्तावित कार्रवाई	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6

कुल					

ख. ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्हें मतदाताओं का भयादोहन करने/गलत तरीके से प्रभावित करने से रोकने के लिए ट्रैक/रोका जाना है

क्र. सं.	**व्यक्ति का नाम**	**व्यक्ति का संपर्क नं. एवं पता**	**की गई/प्रस्तावित कार्रवाई**	**अभ्युक्तियां**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
कुल				

II. मुहल्ले का नाम सूचना की तारीख:----------

----------की सूची

----------की सूची

III. मुहल्ले का नाम: सूचना की तारीख:----------

----------की सूची

----------की सूची

IV. सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन

यह एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ऐसा कोई भी मुहल्ला/पॉकेट/मतदाता वर्ग नहीं है, जो मतदान केन्द्र सं.----------मतदान केन्द्र का नाम----------के क्षेत्र में विधान सभा निर्वाचन, 2011 के दृष्टिकोण से 'अति-संवेदनशील' है, और जो मेरे सेक्टर में शामिल है, इस फार्मेट में शामिल किए जाने से छूट गया हो।

सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर----------

सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम एवं मोबाइल नं.----------

अनुबंध - IV (सेक्टरवार)

वीएम-4 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशील मुहल्लों/पॉकेटों/मतदाता वर्गों की सूची बनाने के लिए मतदान केन्द्रवार सारांश और भयादोहन करने वाले व्यक्तियों की सूची (अनुबंध IV)

क्र. सं.	विषय	कुल संख्या	
1	सेक्टर अधिकारी को आबंटित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या		
2	विजिट किए गए मतदान केन्द्रों की कुल संख्या		
3	सभी मतदान केन्द्रों को कवर करने वाले विजिट की संपूर्ण अवधि	से_____	तक _____
4	सभी मतदान केन्द्रों में ऐसे घर-परिवारों की कुल संख्या जिनमें अति-संवेदनशील मतदाता हैं		
5	सभी मतदान केन्द्रों में ऐसे मतदाताओं की कुल संख्या जिन्हें अति-संवदेनशील चिह्नित किया गया है		
6	सभी मतदान केन्द्रों में ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या जिन्हें गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के रूप में चिह्नित किया गया है		

सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर ----------

सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम एवं मोबाइल नं. ----------

अनुबंध- V (सेक्टरवार)

वीएम-5 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट/प्रधान आरक्षक/सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र

यह एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ऐसा कोई भी मुहल्ला/पॉकेट/मतदाता वर्ग जो ----------निर्वाचन, ---------- (वर्ष) के दृष्टिकोण से अति-संवेदनशील है, जो मेरे सेक्टर नं. ----------में शामिल है, बाकी रह गया है या इस फार्मेट में समाविष्ट होने से रह गया है; और यह कि मेरी रिपोर्ट मतदान केन्द्र क्षेत्रों में मेरे व्यक्तिगत विजिट पर आधारित है।

सेक्टर पुलिस अधिकारी		सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
नाम		नाम	
पदनाम		पदनाम	
मोबाइल नंबर		मोबाइल नंबर	

दिनांक: ----------

स्थान:----------

अनुबंध- VI (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर)

वीएम-6 (आरओ) : रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशीलता का सारांश और अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की सूची

दिनांक :----------

जिले का नाम:----------

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या एवं नाम: ----------

क. अति-संवेदनशीलता पर विधान सभा निर्वाचन -क्षेत्र सार

क्र. सं.	मतदान केन्द्र की सं. एवं नाम	एसओ द्वारा मतदान केन्द्र क्षेत्र में अति-संवेदनशील के रूप में चिह्नित परिवारों/घर-परिवारों की सं.	अति-संवेदनशील के रूप में चिह्नित मतदाताओं की कुल सं. (स्तंभ 3 में मतदान केन्द्र क्षेत्र मे अति-संवेदनशील के रूप में चिह्नित घर-परिवारों में)	मतदान केन्द्र क्षेत्र में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
कुल					

ख. विधान सभा निर्वाचन- क्षेत्र में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति का नाम	संपर्क नं. एवं पता	वह मतदान केन्द्र सं. जिसमें वह गड़बड़ी कर रहा है	की गई/प्रस्तावित कार्रवाई	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
कुल					

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर ----------

रिटर्निंग अधिकारी का नाम ----------

(अनुबंध VII) (जिला स्तर)

वीएम-7 (डीईओ): अति-संवेदनशीलता की पहचान पर रिपोर्ट, और जिला स्तर पर की गई कार्रवाई

दिनांक: ----------

जिले का नाम: ----------

तालिका क

अति-संवेदनशीलता की पहचान और उस पर की गई कार्रवाई :

क्र. सं.	वि. स. संख्या एवं नाम	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	ऐसे मतदान केन्द्र क्षेत्र/क्षेत्रों की कुल संख्या जिनके क्षेत्र में अति-संवेदनशील व्यक्ति/परिवार चिह्नित किए गए हैं	उन मतदान केन्द्र क्षेत्रों में अति-संवेदनशील चिह्नित मतदाताओं की कुल संख्या	इन अति-संवेदनशील मतदाताओं को अभित्रस्त होने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचाने के लिए मतदान से पहले और मतदान के दौरान की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
कुल					

तालिका ख

अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों पर रिपोर्ट :

			स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण (संख्या)					
क्र. सं.	वि. स. संख्या एवं नाम	अभिचिह्नित व्यक्तियों की कुल संख्या	बंधनकृत	तड़ीपार	अभिरक्षा में	कोई अन्य कार्रवाई (विवरण के साथ)	स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नही की गई है	जैसाकि स्तंभ 8 में उल्लिखित है, कोई कार्रवाई न करने के कारण
1	2	3	4	5	6			
कुल								

जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर ----------

जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम ----------

मार्च, 2016 - संस्करण 1